न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, दरभंगा

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1197/2026

1. श्रवण कुमार गाड़ा...आवेदक

बनाम

1. बिहार सरकार ....विपक्षी

आवेदक की ओर से : श्री विकास कुमार अधिवक्ता

विपक्षी (राज्य) की ओर से : श्री अमरेन्द्र नारायण झा, विद्वान लोक अभियोजक,

आदेश

25-07-2026

1. यह अग्रिम जमानत आवेदन उपरोक्त आवेदक **श्रवण कुमार गाड़ा** की ओर **धारा–482 बीएनएसएस एक्ट के अन्तर्गत जी0 आर0 संख्या–10/2026, रजिस्ट्रेशन संख्या–11/2026, अन्तर्गत धारा–27(b), (ii) औषधि एवं अंगराग** अधिनियम **में जो जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायालय, दरभंगा** के न्यायालय में लंबित है, में अपनी गिरफ्फतारी की आशंका से बचने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां दाखिल किया है, जो सुनवाई के लिए इस न्यायालय के संचिका में हस्तानान्तरित होकर प्राप्त हुआ। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता **श्री विकास कुमार** तथा विद्वान लोक अभियोजक **श्री अमरेन्द्र नारायण झा** को सुना।

2. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन में आवेदक की ओर से आज एक आवेदन दाखिल कर निवेदन किया गया है कि आवेदक इस अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेना चाहते है, इसलिए इस अग्रिम जमानत आवेदन को उन्हें वापस लेने की अनुमति दी जाये।

3. अभिलेख का अवलोकन किया। यह अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्त श्रवण कुमार गाड़ा के द्वारा दाखिल किया गया है। आवेदक इस अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेना चाहते है, उन्हें इस अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेने की अनुमति दी जाती है। आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन वापसी के आधार पर खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित,

(नीरज कुमार.II),
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम्, दरभंगा
25.07.2026

WEB COPY